BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 जून, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण व दुष्कर्म के आरोपियों में से एक को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000/- रुपये एवं दूसरे को 05 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- चेतन पुत्र लाल सिंह व 2- प्रेमचन्द पुत्र जय सिंह निवासीगण ग्राम सलाबाद थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2015 में थाना छतारी क्षेत्र निवासी एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2015 को थाना छतारी पर मुअसं- 333/2015 धारा 363/366/376/368 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 24.02.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.06.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त चेतन को धारा 363/366/368/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाये जाने पर 12 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त प्रेमचन्द को 368 भादवि में दोष सिद्ध पाये जाने पर 05 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा व श्री महेश चन्द्र राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त चेतन का आपराधिक इतिहासः-

1- मुअसं- 333/15 धारा 363/366 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं- 137/20 धारा 147/148/323/325/302 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।